न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां (राज॰)

पीठासीन अधिकारी :- श्री हीरालाल मीणा (R.A.S)

प्र॰सं॰ 21/19 प्रार्थना पत्र

सत्यनारायण

1- लीलावती पत्नी सत्यनारायण जाति ब्राह्मण
2- प्रवीण पंचोली पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण
3- सुनील पंचोली पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण
निवासी इकलेरा हाल निवासी बारां जिला बारां

— प्रार्थीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत इकलेरा जरिये सचिव ग्राम पंचायत इकलेरा तह॰ बारां
2. राज॰ सरकार जरिये तहसीलदार बारां

— अप्रार्थीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92E, 63(4), 188 RTA

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) बारटीए वास्ते कायम किये जाने बादाता

उपस्थित :- 1. श्री ओम प्रकाश मेहता II एड॰ प्रार्थी॰
2. " मदनलाल गालव एड॰ अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 24/10/19

प्रार्थीगण की ओर से वाद पत्र के साथ जरिये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम इकलेरा की आराजी जमाबंदी संवत 2070 ख॰नं॰ 1560 रकबा 2.38 हे॰ के संवत 2038-57 के पूर्व साबिक ख॰नं॰ 1021 रकबा 15 बी॰ 1 बि॰ से कायम किये गये हैं। उक्त आराजी के मूल खातेदार केशरीलाल बेटा जगन्नाथ जाति ब्राह्मण नि॰ इकलेरा हाल निवासी बारां के खातेदारी एवं स्वामित्व की थी जो बाहमी बंटवारे के अनुसार इंतकाल क्रमांक 333 दिनांक 26-3-1971 से आदेश सं॰ 3535 राजस्व 1970 तारीख 28 नवंबर 1970 कार्यालय एस॰डी॰एम॰ साहब बारां मुकदमा श्याम सुंदर, सत्यनारायण, रघुवीर प्रसाद पिसरान केशरीलाल बनाम केशरीलाल पुत्र जगन्नाथ की रजाय सन 1970 से सत्यनारायण के खाते में अन्य आराजियातों के साथ ख॰नं॰ 1021 रकबा 15 बी॰ 1 बि॰ दर्ज किया गया जबसे अपने जीवनकाल तक खातेदार

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

के बाद उनके वारिसान प्रार्थीगण आज तक काबिज काश्त चले आ रहे हैं किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से उक्त आराजीयात को सीलिंग अधिग्रहण मानकर सिवायचक दर्ज कर दिया गया तथा सीलिंग दर्ज होने के बाद ग्राम पंचायत इकलेरा को आवंटित कर दी गई जो इंतकाल क्रमांक 514, 502 से ख.नं. 106/1021 रकबा 15 बी. 1 बि. दर्ज कर दी गई किन्तु कभी भी ग्राम पंचायत इकलेरा का कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थीगण से पूर्व उनके पिता व पति सत्यनारायण व उससे पूर्व केशरीलाल जी काबिज काश्त चले आ रहे थे इनके अतिरिक्त उक्त आराजीयात पर किसी अन्य या ग्राम पंचायत इकलेरा का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा गलत रूप से सीलिंग अधिग्रहण माना गया है। अतः नियम विरुद्ध की गई सीलिंग बाबत कार्यवाही को निरस्त करवाकर पुराने कब्जे व पुश्तैनी आराजीयात होने के आधार पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराकर ग्राम पंचायत इकलेरा का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटवाया जाकर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने के अधिकारी एवं नालिशी हैं। प्रार्थीगण के पिता व पति द्वारा श्रीमान प्रमुख राजस्व सचिव महोदय (सीलिंग) विभाग जयपुर में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14-9-04 को प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-8) विभाग क्रमांक प. 6(14) राजस्व (ग्रुप-8)/2004 उपखण्ड अधिकारी, बारां जयपुर दिनांक 25/10/04 से प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया कि निर्देशानुसार प्रार्थीगण से प्राप्त प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज मूल ही संलग्न प्रेषित कर लेख है कि इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29/11/01 के अंतर्गत परीक्षण कर नियमानुसार उचित कार्यवाही करें, का आदेश पारित किया गया जिसके पश्चात आज तक उक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है तथा ग्राम पंचायत इकलेरा प्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का प्रयास कर रही है इसलिये प्रार्थीगण ग्राम पंचायत इकलेरा व राज. सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज. सरकार

उप खण्ड अधिकारी
बारां

जरिये तहसीलदार बारां के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी एवं नालिशी है। वादीगण का वाद ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का संतुलन हर प्रकार से प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि ग्राम पंचायत इकलेरा अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित होने के कारण प्रार्थीया को बेदखल करने में सफल हुई तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन किया जाना संभव नहीं है इसलिये न्यायहित में अदम नियुक्त कर केश सिक्युरिटी राशि जमा कराये जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तार्फसला वाद जेरकार ग्राम इकलेरा की आराजी ख.नं. 1560 रकबा 2.38 है. पर अदम नियुक्त कर केश सिक्युरिटी राशि नियमानुसार जमा कराये जाने के आदेश प्रदान किये जावे तथा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावें कि वह प्रार्थीया को बेदखल नहीं करे शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने दे।

प्रार्थना पत्र नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश हुआ कि सत्यनारायण का वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त होना एवं उसकी मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान प्रार्थीया का आज तक काबिज काश्त होना असत्य कथन होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी सिवायचक भूमि दर्ज थी जिसे ग्राम पंचायत को आवंटित किया गया था जिस पर आवंटन के पश्चात ही ग्राम पंचायत को कब्जा संभला दिया था, जिस पर तब से आज तक निरंतर अप्रार्थी काबिज है। सिलिंग अधिग्रहण की भूमि को अवाप्त करने, आवंटन करने व सिलिंग कार्यवाही के तहत अवाप्त की गयी कार्यवाही को निरस्त कराने का अधिकार इस वाद के जरिये प्रार्थीगण को नहीं है। प्रार्थीया को घोषणा के वाद के जरिये सिलिंग में अवाप्त भूमि को उनके नाम दर्ज कराने का अधिकार नहीं है तथा अप्रार्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। वादग्रस्त आराजी को अवाप्त कर अप्रार्थी को आवंटन किया जाने के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रार्थीगण द्वारा नहीं की इसलिये प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। सिलिंग में अवाप्त भूमि के संबंध में आपत्ति अपीलीय न्यायालय

(हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बारां

न्यायालय में की जानी चाहिये थी। मिथ्या [illegible] पर घोषणा का वाद पोषणीय नहीं है तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर आवंटन के पश्चात से ही अप्रार्थी काबिज है एवं रेकार्डेड खातेदार है अतः उसके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना विधि सम्मत नहीं है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा अथवा रिसीवर नियुक्त करना तथा केस सिक्योरिटी जारी करने का आदेश पारित किया गया तो अप्रार्थीगण को भारी कठिनाई व असुविधा होगी एवं अपूर्णीय क्षति होगी। क्योंकि अप्रार्थी वक्त आवंटन 40-45 वर्षों से वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है एवं खातेदार है जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय व्यय खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार केशरीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राह्मण नि. [illegible] हाल नि. बारां के स्वामित्व की थी जो बाहमी बंटवारे अनुसार सत्यनारायण के हिस्से में आई। सेटलमेंट में नये नंबर 1560 रकबा [illegible] दर्ज होकर अप्रार्थी क्रम 1 को आवंटन हुई जबकि कब्जा सत्यनारायण का ही रहा तथा उनकी मृत्यु के बाद से प्रार्थीगण काबिज काश्त हैं। अपने जीवनकाल में प्रार्थीगण के पिता व पति सत्यनारायण तथा उनकी मृत्यु उपरांत आज तक प्रार्थीगण मुनाफा काश्त राशि ग्राम पंचायत [illegible] में जमा कर रसीदें प्राप्त करते आ रहे हैं। उभयपक्ष के हक हकूक तो मूल वाद में तय होंगे परन्तु यदि प्रार्थीगण को आराजी से बेदखल कर दिया गया तो वाद पेश करने का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर केश सिक्यूरिटी राशि के आदेश प्रदान किये जावें।

दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि जो भूमि ग्राम पंचायत के नाम दर्ज है जो आवंटन के पश्चात से ही ग्राम पंचायत

[illegible signature]
उप खण्ड अधिकारी
बारां

के खाते एवं कब्जे काश्त में दर्ज है। ग्राम पंचायत रेकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत कोई भूमि आवंटन के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की। लगभग 43 वर्ष पूर्व हुये आवंटन के विरुद्ध अब वाद पेश किया है जो अन्दर मियाद नहीं है। प्रार्थीगण का यह कथन कि कब्जा प्रार्थीगण का है नितांत असत्य है क्योंकि प्रार्थीगण प्रतिवर्ष बोली लगाकर ग्राम पंचायत में राशि जमा करा रहे हैं। रसीदात ग्राम पंचायत प्रार्थीगण के द्वारा पेश की गई हैं जिससे यह प्रमाणित है कि कब्जा ग्राम पंचायत का है जो मुनाफा काश्त पर काश्त करवा रही है। प्रार्थीगण अथवा उनके पिता व पति सत्यनारायण ने सिविल कार्यवाही के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही नहीं की। प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को नहीं है। मुनाफा काश्त की रसीदात हमारे द्वारा भी प्रस्तुत की गई हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जावे।

रिप्लाई में वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि वर्तमान बहस प्रार्थना पत्र 212(2) भारतीय की है दावे की बहस नहीं है। दावा मेंटेनेबल है या नहीं यह तो मूल वाद के तय होने का विषय है। यदि अप्रार्थीगण प्रकरण को न्यायालय क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होना नहीं मानते हैं तो मूल वाद के अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिये था जो आदिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थीगण का कब्जा 1977 से ग्राम पंचायत द्वारा नहीं हटाया और प्रार्थीगण के अलावा आज तक किसी भी अन्य को मुनाफा काश्त पर नहीं दी गई। उभयपक्ष के हक हकूक मूल वाद में तय होंगे तब तक केस सिक्यूरिटी ली जावे अन्तिम निर्णय जिसके पक्ष में होगा राशि उसे प्राप्त होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर केश सिक्यूरिटी निर्धारित की जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा 1977 से निर्बाध कब्जा चला आने का कथन किया है तथा मुनाफा काश्त राशि ग्राम पंचायत को अदा की जा रही है। ग्राम पंचायत द्वारा भी अपने जवाब में मुनाफा काश्त पर प्रार्थीगण

उप खण्ड अधिकारी

का कब्जा होना स्वीकार किया है। तथा स्वयं के खातेदारी में दर्ज होना कथित तथा कब्जा किया है। अप्रार्थी के द्वारा ... का अन्तिम निस्तारण दीवानी वाद में होगा। परन्तु मूल वाद के निर्णय में विलम्ब होगा। तब तक प्रार्थीगण व अप्रार्थी गण के हितों को सुरक्षित रखना उचित होगा। चूंकि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा है। अतः प्रार्थीगण से कैश सिक्युरिटी जमा करवाया जाना उचित होगा। कैश सिक्युरिटी जमा नहीं कराने पर विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त होगा।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि दावा के निर्णय तक ग्राम दूधकेरा की आराजी ख.नं. 1560 रकबा 0.38 है. पर रुपये 2000/= प्रति बीघा प्रति वर्ष की दर से राशि जमा कराने पर ही कब्जा रख सकेंगे। प्रार्थीगण इस वर्ष की राशि एकमाह में जमा करायेंगे तथा आगामी वर्षों में 1 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य जमा कराते रहेंगे। नियत समयावधि में राशि जमा कराने में विफल रहने पर तहसीलदार बारां उक्त आराजी का रिसीवर के रूप में कब्जा प्राप्त कर आगामी कृषि व्यवस्था अपने स्तर से सम्पादित करायेंगे। उक्त जमा होने वाली राशि दावे के निर्णय पर दावे में सफल होने वाले पक्षकार प्राप्त करने के अधिकारी रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 24/10/19 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(हीरालाल मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Meena
Date: 2019.11.21 15:21:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: